एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री एस0 पी0 सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 1 व 2

निर्णय **दिनांकः17–9–2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डीग के प्रकरण सं0185/2002 बउनवानी केशव बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10–7–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध अप्रार्थी सं0 3 प्रतिवादी के विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कोररे तहसील डीग में स्थित वादग्रस्त आराजी साबिक ख0 नं0 2770 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा प्रार्थीगण/वादीगण के पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि चली आ रही है परन्तु बन्दोबस्त के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने साबिक ख0 नं0 2770 के हाल ख0 नं0 2792 रकबा 0–28 ऐयर बना करके साबिक के मुकाबले 0–22 ऐयर रकबा कम दर्ज कर दिया तथा वादीगण के उक्त रकबा को हाल ख0 नं0 2791 रकबा 1–02 है0 में मिला दिया है जिसका सैटलमेन्ट को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण को हाल ख0 नं0 2791 रकबा 1–02 है0 में से 0–22 है0 रकबा पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। उक्त वादपत्र में अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने फरीक मुकदमा बनाये जाने हेतु आदेश 1 नियम 10 (2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब करते हुए अपने आदेश दिनांक 10–7–2006 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिस आदेश दिनांक 10–7–2006 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी पर उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– निगराकार का बहस में तर्क है कि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक

	<u>निगरानी/टीए/4756/2006/भरतपुर</u> केशवदेव बनाम बच्चूसिंह		
	10–7–2006 का है जिसमें हाल ख0 नं0 2791 रकबा 1–02 है0 है तथा साबिक ख0 नं0 2869 रकबा 6–1 बीघा है। गैर निगराकार ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे उनका अधिकार बनता हो। यदि इनका कोई अधिकार था तो ये नया दावा पेश करते। हमने विचारण न्यायालय से यह रिलीफ नहीं चाही केवल हमारा दावे को डिले करना चाहते हैं। हमारा रकबा कम करके आबादी में मिला दिया जिसका सिविल न्यायालय में वाद लम्बित है। सिविल न्यायालय में खसरा नम्बर अंकित नहीं है। वादग्रस्त आराजी को गैर मु0 आबादी दर्ज कर दिया जबकि सैटलमेन्ट को इस तरह से इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्धारा गलत तौर पर स्वीकार किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र खारिज योग्य था। अतः विचारण न्यायालय द्धारा पारित आदेश दिनांक 10–7–2006 कानूनी के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। इसलिए निगरानी स्वीकार की जावें। 5– प्रतिउत्तर बहस में गैर निगराकार का कथन है कि ख0 नं0 2792 का रकबा 0–28 है व 2791 का रकबा 1–02 है0 है। उक्त प्रकरण से संबंधित एक अन्य वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। ख0 नं0 2791 पर हमारा कब्जा है। आबादी भूमि पर दावा नहीं चल सकता है तथा इस प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश युक्तियुक्त व कानूनी है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए निगरानी खारिज की जावें। 6– विद्धान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। 7– विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10–7–2006 में माना कि प्रार्थीगण ने सैकड़ो वर्षो पूर्वजों के समय से वाहिद रूप से कब्जा बताया है। इस बाबत प्रार्थीगण द्धारा प्रस्तुत नकल दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) डीग से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जे बाबत विवाद है। दावा अभी जवाब व तनकी की स्टेज पर है। पक्षकारान का वादग्रस्त आराजी के हक हकूकों का निर्णय दोनों पक्षों की साक्ष्य के बाद ही गुणावगुण पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। 8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत नकल दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) डीग से स्पष्ट है कि वादीगण तथा		

निगरानी/टीए/4756/2006/भरतपुर
केशवदेव बनाम बच्चूसिंह

अप्रार्थीगण के मध्य विवादित गैत को लेकर विवाद है। वादीगण हाल वादपत्र में यह घोषणा मांगी गयी है कि हाल आराजी ख0 नं0 2791 रकबा 1–02 है0 में से 0–22 ऐयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। नकल जमाबन्दी ग्राम कोररे तहसील डीग सम्वत् 2054 से 2057 में आराजी ख0 नं0 2791 रकबा 1–02 है0 गै0मु0 आबादी दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में यह भी अंकित नहीं किया गया है कि आराजी ख0 नं0 2791 रकबा 1–02 है0 गै0मु0 आबादी का 0–22 ऐयर का कौनसा भाग है तथा किसमें कब्जा है अथवा खाली है? ऐसी स्थिति में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उक्त रकबा में अप्रार्थी सं0 1 व 2 का हित निहित हो। अतः उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्धारा अप्रार्थी सं0 1 व 2 को पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह विधिसम्मत होने से निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य है।

11– अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानी खारिज की जाती है। विद्धान उपखण्ड अधिकारी, डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–7–2006 यथावत रखा जाता है।

12– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

13– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य